

(देखिए नियम 6)

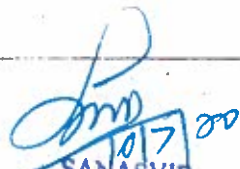
फार्म 'क'

सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1-परियोजना विवरण-

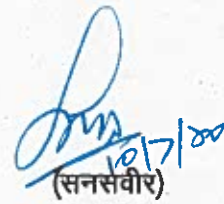
(i)अपेक्षित वन भूमि कें लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग (अ0जि0मा0) (चैनेज 6.000 से 20.100 कि.मी. व चैनेज 21.000 से 21.400 कि.मी.) (लम्बाई 14.500 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य जिला-मथुरा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य से प्रभावित 3.1746 हैक्टे0 संरक्षित (परियोजना के प्रथम बिन्दु चैनेज 6.000 से चैनेज 6.200, चैनेज 7.050 से 13.203 एवं चैनेज 18.00 से 18.400 तक) वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(ii)-1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
(iii)-परियोजना की लागत:-	रु0-2007.35 लाख।
(iv)-वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।
(v)-लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नहीं।
(vi)-रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	नियमित रूप से ---- और ----- अस्थायी श्रमदिवस
2-कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :-	3.1746 हैक्टे0 संरक्षित।
3-परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है:-	
(i) परिवारों की संख्या	नहीं।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नहीं।
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	नहीं।
4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है, (हाँ/नहीं)	नहीं।


SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

5-प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाए) :-	संलग्न है।
6-निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा:	संलग्न है।

तिथि.....

स्थान-


(सनसवीर)

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

 **SANASVIR**
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura